रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266967
CG-DL-E-16102025-266967

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947
No. 673]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ(11)/2021 खंड-II (भाग फ़ाइल) (ई-5939).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में, -

क) विनियमन 4 के उप-विनियम (11) के पश्चात निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

"(12) पीएनजीआरबी (सामाजिक वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2008 या किसी अन्य विनियमन में निहित किसी भी बात के बावजूद, एस्क्रो खाते को 'असंतुलन प्रभार खाता' कहा जाएगा। 'असंतुलन शुल्क खाते' में उपलब्ध निधि का उपयोग इन नियमों की अनुसूची-1 के तहत निर्दिष्ट तरीके और उद्देश्यों के अनुसार किया जाएगा"।

ख) विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची-I प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची-I
{विनियम 4(13) देखें}

1. विस्तार

पीएनजीआरबी द्वारा रखे गए असंतुलन प्रभार खाते में निम्नलिखित में से उपलब्ध शेष राशि शामिल होगी:

i. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2008 के विनियम 13 के उप-विनियम 10 में प्रावधान के अनुसार प्रणाली अनुशासनहीनता और ओवररन शुल्क के कारण परिवाहकों (ट्रांसपोर्टर) द्वारा जमा की गई राशि।

ii. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियमन 4 के उप-विनियम 4 में प्रावधानित 'असंतुलन प्रबंधन सेवाओं' के कारण ट्रांसपोर्टरों द्वारा जमा की गई राशि, तथा

iii. 'असंतुलन प्रभार खाते के लिए बैंक खाते' में निधियों से किए गए निवेश पर मिलने वाला ब्याज।

2. निधियों का उपयोग

'असंतुलन प्रभार खाते' में निधियों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

i. गैस अवसंरचना की क्षमता निर्धारण **में होने वाला** व्यय।
ii. विनियमन/दिशानिर्देश आदि बनाने/संशोधित करने से संबंधित पीएनजीआरबी **द्वारा किया गया** व्यय;
iii. पीएनजीआरबी द्वारा प्राकृतिक गैस अवसंरचना विकास के लिए परामर्श सेवाओं पर **किया गया** व्यय;
iv. देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास के लिए पीएनजीआरबी में क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य बुनियादी ढांचे सहित कार्यालय स्थान की स्थापना, जिसमें निगरानी या आईटी या एमआईएस या पीएनजीआरबी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित आपातकालीन हैंडलिंग के लिए केंद्रीकृत सेवाओं की स्थापना शामिल है;
v. विनियामक गतिविधियों से संबंधित पीएनजीआरबी कर्मियों के प्रशिक्षण और विकास पर व्यय;
vi. उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगोष्ठियों, व्याख्यानों, आयोजनों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रकाशनों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) आदि के माध्यम से कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम;
vii. सीजीडी और एनजीपीएल उद्योगों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के सहयोग से कौशल विकास करना
viii. प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित विकास, नवाचार के क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने के लिए व्यय;

ix. देश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के समर्थन और विकास के लिए स्टार्ट-अप/अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना/रखरखाव/उपयोग से संबंधित व्यय, जिसे पीएनजीआरबी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो;

x. हाइड्रोजन, सीबीजी, एलएनजी, गैस आधारित बिजली संयंत्रों, गैस बाजार आदि के विकास के लिए अध्ययन पर व्यय;

xi. बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत टैरिफ/घाटे की राशि, यदि कोई हो, में समायोजन के लिए निधि का उपयोग।

xii. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उद्योग के विकास और समर्थन के लिए पीएनजीआरबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य गतिविधियाँ।

3. 'असंतुलन प्रभार खाते' में उपलब्ध शेष राशि के उपयोग का तरीका

i. निधियों के उपयोग का बजट हर साल तैयार किया जाएगा और यह उपयोग पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की मंजूरी से असंतुलन प्रभार खाते में जमा राशियों पर अर्जित ब्याज तक ही सीमित होगा, हालांकि उपर्युक्त 2(iv) और 2(xi) मद के खर्चों पर यह सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित किसी भी अप्रयुक्त/असंबद्ध ब्याज का उपयोग बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत टैरिफ/घाटे की राशि, यदि कोई हो, में समायोजन के लिए किया जाएगा।

ii. पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 की अनुसूची-घ के विनियम 2.1(ड.) के तहत बोर्ड द्वारा गठित उद्योग समिति, बोर्ड के विचार के लिए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले 31 जनवरी तक क्र.सं. 2(vi) से 2(xi) में सूचीबद्ध अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

उद्योग समिति, बोर्ड को अपना प्रस्ताव भेजने से पहले, शिपर्स और हितधारकों से आमंत्रित करेगी और उन पर विचार करेगी। इस प्रयोजन के लिए, उद्योग समिति शिपर्स के लिए एक प्रणाली बनाएगी, ताकि वे समिति के साथ अपने विचार साझा कर सकें। फिर इस प्रणाली को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. लेखांकन

असंतुलन प्रभार खाते से किए गए सभी खर्चों का अलग-अलग लेखा विवरण रखा जाएगा।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./407/2025-26]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियमों को फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 23 मार्च, 2018, पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ (2)/2012, दिनांक 19 जून, 2020, पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ(2)/2012(पी-910), दिनांक 11 नवंबर, 2020 और फा. सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ (2)/2012 (पी-3116) दिनांक 23 नवंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

F. No. PNGRB/COM/2-NGPLTariff(11)/2021Vol-II (Part File) (E-5939).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the P0065troleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, namely: -

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016**, -**

a) After sub-regulation (11) of regulation 4, the following shall be inserted, namely:

"(12) Notwithstanding anything contained in PNGRB (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 or any other regulations, the Escrow account shall be referred to as 'Imbalance charges account'. The fund available in 'Imbalance charges account' shall be utilized in the manner and for the purposes as specified under Schedule-1 of these regulations."

b) After regulation 5, the following Schedule-I shall be inserted, namely: -

Schedule-I

{see regulation 4(13)}

1. Scope

The funds in the Imbalance charges account maintained by PNGRB shall comprise of the balance available out of the followings:

i. Amount deposited by the transporters on account of 'System indiscipline and overrun charges as provided in sub-regulation 10 of regulation 13 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,

ii. Amount deposited by the transporters on account of 'Imbalance management services' as provided in sub-regulation 4 of regulation 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, and

iii. Interest on the investment made out of funds in the 'Bank Account for Imbalance charges account'.

2. Usage of the fund

The funds in the 'Imbalance charges account' may be used for following purposes:

i. Expenses pertaining to Capacity determination of gas infrastructure.

ii. Expenses of PNGRB related to framing/ amending regulations/ guidelines, etc;

iii. Expenses on consultancy services for natural gas infrastructure development by PNGRB;

iv. Setting up of office space including regional offices and other infrastructure at PNGRB for development of natural gas sector in the country including establishment of centralized services for monitoring or IT or MIS or for emergency handling duly approved by PNGRB Board;

v. Expense on training and development of PNGRB personnel pertaining to regulatory activities;

vi. Education and awareness programs for entities and consumers through seminars, lectures, events, conferences, workshops, publications (print and electronic media), etc; to ensure safety and safeguard of consumer interests

vii. Skill Development in collaboration with educational and technical institutions for CGD and NGPL industries

viii. Expenses to undertake projects related to development, areas of innovation pertaining to natural gas sector;

ix. Expenses pertaining to set up/ maintaining/ utilisation of start-up/ research and development fund(s) for support and development of natural gas infrastructure in the country duly approved by the PNGRB Board;

x. Expenses on study for the growth of hydrogen, CBG, LNG, gas-based power plants, gas market etc;

xi. Usage of fund towards adjustment in the unified tariff/ deficit amount, if any, duly approved by the Board.

xii. Any other activities as approved by the PNGRB Board for development and support of the natural gas pipeline industry.

3. Manner of utilisation of balance amount available in 'Imbalance charges Account'

i. A utilization budget of the fund shall be prepared every year and the utilisation shall be limited to the interest earned on deposits of Imbalance charges account during the previous financial year with the approval of Board with an exception of item at 2(iv) and 2(xi) above to which the limit shall not apply. However, any unutilized/unapportioned interest earned during the previous financial year shall be utilized towards adjustment in the unified tariff/ deficit amount, if any, duly approved by the Board.

ii. Industry Committee constituted by the Board under regulation 2.1(e) of Schedule-D of the PNGRB (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, would submit their proposals listed at Sl No. 2(vi) to 2(xi) by 31st January prior to the start of the financial year for consideration of Board.

Industry Committee shall invite and consider the views of shippers and stakeholders also while framing up its proposals before submission to the Board. For this purpose, Industry Committee shall frame a mechanism to invite and submission of views by the shippers to the Industry Committee and submit the same for approval of the Board.

4. Accounting

Separate accounting details of all the expenses incurred from Imbalance charges account shall be maintained.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./407/2025-26]

Foot Note: Principal regulations were notified vide F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 29th April, 2016 and subsequently amended vide F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 23rd March 2018, PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2)/2012, dated 19th June, 2020, PNGRB/COM/2-NGPL Tariff(2)/2012(P-910), dated 11th November, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2)/2012 (P-3116) dated 23rd November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA